# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 22/2013<br>अचलाराम बनाम ओमप्रकाश वगैरह<br>अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 4-6-2021 | प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत दो सगे भाई है, यानि स्व. पेमाराम जी के पुत्रगण है। प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या एक लगायत दो की पुस्तेनी अविभाजित राजस्व कृषि भूमि खसरा नम्बर 643, 665/1. 733/1, 735/1 कुल खसरा नम्बर 4 कुल रकबा 10. 9346 हेक्टेयर राजस्व ग्राम फीच तहसील लूणी एवं खसरा नम्बर 578/1, 581/1 कुल खसरा नम्बर 2 कुल क्षेत्रफल 6.5074 हेक्टेयर भूमि राजस्व ग्राम हनुमानसागर तहसील लूणी जिला जोधपुर में आयी हुई है जिसमें प्रार्थी का 1/3 बंट व हिस्सा है तथा अप्रार्थी संख्या एक लगायत दो प्रत्येक का 1/3–1/3 बंट व हिस्सा है। प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या एक लगायत दो का हिस्सेनुसार शामलाती मौके पर प्रत्येक का भौतिक रूप से कब्जा काश्त है। उक्त भूमि विवादग्रस्त भूमि है।<br>प्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने हेतु अप्रार्थी संख्या एक व दो से निवेदन करने पर अप्रार्थीगण द्वारा टालमटोल करते हुए मना कर दिया। इसलिए प्रार्थी को अंदेशा है कि प्राथी के बंट व हिस्से पर आने वाली भूमि में अप्रार्थीगण विधि विरूद्ध दखलंदाजी कर परेशान कर सकते है, इसलिए स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा का बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण हेतु निवेदन किया गया।<br>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सूनी जाकर दिनांक 29.05.2023 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिली हेतु भेजे जाकर तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता लादुराम पूनिया द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र का जवाबउल जवाब पेश करना चाहते है प्रार्थी अधिवक्ता ने जवाबउल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।<br>अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में कथन किया की विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता स्व० पेमाराम की खातेदारी की थी, जिसका पेमारामजी ने अपने जीवनकाल मे दिनांक 11.05.2002 को एक वसीयतनामा लेखपत्र निष्पादित कर अपने तीनो पुत्रो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 को बराबर हिस्से में भूमि का विभाजन कर मौके पर ही अलग अलग बंट करके कब्जा सौंप दिया था तब से तीनो ही अलग अलग उक्त बंटवाडा अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है। पिता द्वारा किये गये विभाजन से प्रार्थी एव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पाबंद है उनके द्वारा किये गये विभाजन अनुसार राजस्व रेकर्ड में विभाजन किया जाता है तो उस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सहमत हैं। प्रार्थी ने सम्पूर्ण दावा | |

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

पिता द्वारा किये गये विभाजन के तथ्य को छुपाते हुए दावा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नही है एवं निरस्त किये जाने के योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को सव्यय खारिज किये जाने का आदेश फरमावे तथा एकपक्षीय निषेधाज्ञा को अपास्त किये जाने का आदेश फरमावे। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र का जवाबउल जवाब पेश करना चाहते है। प्रार्थी अधिवक्ता ने जवाबउल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी की ओर से भंवरलाल पुत्र श्री मांगीलाल एव ओमप्रकाश पुत्र श्री तेजाराम के शपथपूर्वक बयान पेश किये गये जो शामिल मिसल है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर कथन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा जो बंटवाड़ा वसीयतनामा लेखपत्र दिनांक 11.05.2002 का जिक किया वह फर्जी दस्तावेज है यदि ऐसा किसी प्रकार का कोई बंटवाड़ा किया जाता है तो उक्त बंटवाड़े पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के भी हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशान होते। आज से पूर्व किसी प्रकार का कोई बंटवाड़ा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य नहीं हुआ है न ही पेमारामजी ने अपने जीवन काल में कोई बंटवाड़ा किया है।

पत्रालवी का अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षों की बहस सूनी गई। प्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त कृषि भूमि हेतु मूल वाद बाबत बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 उक्त वर्णित विवादग्रस्त कृषि भूमि में मौके पर काबिज एवं सहखातेदार है एवं उनके बीच में अपने–अपने 1/3–1/3 बंट व हिस्से के लिए बंटवारे को लेकर विवाद विवाद होने संभावना है। अतः प्रार्थी के मूल वाद के निस्तारण तक ताफैसला अस्थाई निशेधाज्ञा से दोनो पक्षो को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तक धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक एवं दो को ताफैसला स्थाई निशेधाज्ञा से दोनो पक्षो को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो विवादग्रस्त भूमि में काश्त उपभोग–उपयोग में परस्पर एक दुसरे के हक हिस्से में दखलांदाजी नहीं करे/करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04-6-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

पुखराज कांसोटिया, आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी